प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत **दिनाँक-05.11.2023**

थाना कोतवाली बागपत पुलिस, सर्विलांस सैल व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत थाने के मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201 भादवि का 72 घंटे के अन्तर्गत सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट नं0 HR-10AR-2082 बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.11.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी चौकीदार श्री रणसिंह पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम सिसाना थाना बागपत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक अज्ञात महिला के शव को ग्राम सिसाना में श्मशान घाट के पास जला दिया है, जिसका अधजला शव शमशान घाट के पास कूडाघर में पडा है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था एवं विवेचना प्रारंभ की गयी।

घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस टीम, सर्विलांस सैल टीम, फील्ड यूनिट की टीमों सहित थाना कोतवाली बागपत की टीमों का गठन कर घटना के सफल अनावरण के लिए टास्क निर्धारित किया गया। इसी क्रम में सभी टीमों द्वारा इलैक्टॉनिक सर्विलांस, सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल तथा विभिन्न टीमों द्वारा किए गए पिछले 72 घंटों के मैराथन प्रयासों के पश्चात् घटना का सफल अनावरण किया गया तथा अज्ञात मृतका की शिनाख्त मनीषा चौहान पुत्री स्व0 हर्षवर्धन निवासी गांव सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर के रुप में हुयी। सफल अनावरण के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1. विवेक चौहान उर्फ मनीष पुत्र स्व0 हर्षवर्धन, 2- शिखा पत्नी विवेक चौहान उर्फ मनीष निवासीगण ग्राम सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर के नाम प्रकाश में आये जो कि मृतका मनीषा के सगे भाई व भाभी हैं। एक अन्य अभियुक्त

पवन पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम सिसाना थाना बागपत जनपद बागपत की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है।

पूछताछ के दौरान महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आये कि गिरफ्तार अभियुक्त विवेक चौहान मृतका का सगा भाई है तथा गिरफ्तार अभियुक्ता शिखा मृतका की सगी भाभी है। अभियुक्त पवन का गिरफ्तार अभियुक्ता शिखा के साथ कई वर्षों से दोस्ती (मधुर संबंध) थी व घर पर आना जाना था, जिसका अभियुक्ता शिखा की ननंद मृतका मनीषा चौहान के द्वारा विरोध किया जाता था तथा मृतका ने शिखा व पवन के बीच की कुछ वीडियो व चैट बरामद कर गोपनीय रुप से परिजनों को उपलब्ध करा दी थी। जिससे शिखा मृतका मनीषा के बीच अनबन रहती थी। मृतका के नाम पर अपने स्व0 पिता हर्षवर्धन की पैतृक सम्पत्ति थी, मृतका मनीषा के अन्य परिजनों ने बताया कि उसके भाई व भाभी उसके साथ मारपीट करते थे। इसी पैतृक सम्पत्ति व दोस्ती के कारण मृतका के भाई अभियुक्त विवेक चौहान उर्फ मनीष व उसकी पत्नी शिखा व अभियुक्ता शिखा के दोस्त अभियुक्त पवन के द्वारा मनीषा की योजनाबद्ध तरीके से अपने मकान में गला घोटकर हत्या कर दी। उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए पवन द्वारा घटना में इस्तेमाल की गयी गाडी स्विफ्ट नं0 HR-10AR-2082 में डालकर मृतका मनीषा के शव को अपने गांव सिसाना में शमशान घाट के पास दिनांक 02.11.2023 को डालकर पहचान छुपाने के लिए ज्वलनशील पदार्थ डालकर जलाया गया। अभियुक्त पवन ग्राम वालों को आता जाता देख शव को अधजला छोडकर उक्त गाडी से फरार हो गया। पुलिस को उक्त घटना का पता चलने व पुलिस द्वारा सक्रियता बढाने का अन्देशा होने पर पवन एवं मृतका के भाई व भाभी के द्वारा मृतका की गुमशुदगी थाना सैक्टर 39 में जीडी नं0 50 पर दिनाँक 03.11.2023 को दर्ज करायी गई।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस, क्राइम ब्रांच व सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम के द्वारा घटना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत थाने के मु0अ0सं0 842/23 धारा 302/201 भादवि का 72 घंटे के अन्तर्गत सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी 01 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी स्विफ्ट नं0 HR-10AR-2082 बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग के सफल अनावरण हेतु गठित की गयी क्राइम ब्रांच, सर्विलांस सैल व थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये के ईनाम से पुरस्कृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-विवेक चौहान उर्फ मनीष पुत्र स्व0 हर्षवर्धन निवासी गांव सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर।

2-शिखा पत्नी विवेक चौहान उर्फ मनीष निवासीगण ग्राम सदरपुर सेक्टर 45 थाना सेक्टर 39 गौतमबद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त गाडी स्विफ्ट नं0 HR10AR2082

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार शर्मा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-श्री नितिन पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस सैल मय टीम जनपद बागपत।
3-व0उ0नि0 श्री उमेश कुमार सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री धर्मसिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
5-उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
6-है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
7-है0का0 173 रिंकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
8-का0 44 संजीव कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
9-क्राइम ब्रांच जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर **दिनाँक 05.11.2023**

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 165/2023 धारा 268/269/270/278 भादवि व 2/3 वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से लगभग 12 कुन्तल कॉपर तार (जले/अधजले) व एक ट्रैक्टर महिन्द्रा नम्बर UP-14EW-0937 बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लगभग 12 कुन्तल कॉपर तार (जले/अधजले) व एक ट्रैक्टर महिन्द्रा नम्बर UP-14EW-0937 बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलीम पुत्र सरफुद्दीन निवासी राशिद गेट थाना लोनी जनपद गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण-

- लगभग 12 कुन्तल कॉपर तार (जले/अधजले)
- एक ट्रैक्टर महिन्द्रा नम्बर UP-14EW-0937

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व0उ0नि0 श्री राहत जान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत   दिनाँक 05.11.2023

थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम ने थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि में हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 29.10.23 को थाना थाना बड़ौत पर वादी मांगेराम पुत्र श्रीचन्द निवासी ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-विशाल उर्फ कालू, 2-वैभव पुत्रगण प्रमोद, 3-भूरा उर्फ प्रदुमन पुत्र सरदार सिंह, 4-रामकुमार पुत्र जयपाल निवासीगण ग्राम हिलवाड़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत व 5-रामबाबू पुत्र राम सिंह ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ने एक राय होकर उसके भाई कृष्णपाल पुत्र श्रीचंद की गोली मारकर हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस एवं एसओजी बागपत की संयुक्त टीम द्वारा थाने के मु0अ0सं0 778/23 धारा 147/148/149/302/34/120बी भादवि में हत्यारोपी 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1-विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत व 2-मोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ के नाम प्रकाश में आये ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-प्रदुम्न उर्फ भूरा पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत।
2-विजय उर्फ काशी पुत्र सर्वोत्तम निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ।
3-मोनू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कलंजरी थाना जानी जनपद मेरठ ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 08.03.2023 को होली पर दीपक पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम हिलवाडी थाना बडौत जनपद बागपत ने हमारे परिवार के विक्की उर्फ छोटू के गले पर चाकू से वार करके हत्या कर दी थी जिसमें दीपक पुत्र कृष्णपाल वर्तमान में जेल में निरूद्ध है। मृतक कृष्णपाल उर्फ काले पुत्र श्रीचन्द फैसले का दबाव बना रहा था तथा अपने पुत्र दीपक की पैरवी कर रहा था, इसी कारण हम सभी ने मिलकर कृष्णपाल उर्फ काले पुत्र श्रीचन्द की हत्या कर दी थी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 देवेश कुमार सिंह थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
2-प्र0नि0रविन्द्र सिंह पलावत प्रभारी एसओजी बागपत मय टीम थाना बडौत जनपद बागपत।
3-व0उ0नि0 महेन्द्र सिंह चौहान थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
4-उ0नि0 महेन्द्र सिंह गौतम थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
5-है0का0 315 ईशपाल सिंह थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
6-है0का0 572 पुष्पेन्द्र सिंह थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
7-है0का0 41 अनुज कुमार थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
8-है0का0 468 कुलदीप सिंह थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
9-का0 402 विशाल पुनिया थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।
10-का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपद

थाना दोघट **दिनाँक-05.11.2023**

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 236 किलो ग्राम बने/अधबने पटाखे बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 172 किलो ग्राम सुतली बम, 43 किलो ग्राम सुतली बम (अधबने) व 21 किलो ग्राम अधबने पटाखे बरामद हुए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

खालिद पुत्र उमरदीन निवासी मौहल्ला तीरगरान पट्टी तिरोसिया कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **172 किलो ग्राम सुतली बम ।**
- **43 किलो ग्राम सुतली बम (अधबने) ।**
- **21 किलो ग्राम पटाखे(अधबने) ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उपनि0 श्री संजीव कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।
2-है0का0 112 तेजवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
3-का0 876 कैलाश थाना दोघट जनपद बागपत ।
4-का0 857 सुरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।